प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 161/2006

एकल पीठ

आवेदक (अभियुक्त) : 1. खेतमल सोनी, आयु 51 वर्ष, पिता श्री कृष्णराम जी सोनी,

2. श्रीमती ऐमी देवी उर्फ हेमाबाई, आयु 48 वर्ष, पति खेतमल सोनी,

3. श्रीमती ज्योति सोनी, आयु 24 वर्ष, पति जगदीश सोनी,

4. ओम प्रकाश सोनी, आयु 24 वर्ष, पिता खेतमल सोनी,

सभी निवासी – ओसवाल भवन के पास, दंतेश्वरी ज्वेलर्स, गीदम, जिला दंतेवाड़ा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

अनावेदक (परिवादी) : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर (डी.एम.) दुर्ग

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग (माननीय श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा अध्यक्षित) के न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण क्रमांक 965/05 को अभिखण्डित किए जाने हेतु।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 161/2006

21.02.2007

श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता आवेदकगण की ओर से ।

प्रकरण प्रवेश स्तर पर सुना गया।

यह पुनरीक्षण याचिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण क्रमांक 965/2005 की कार्यवाही अभिखण्डित करने हेतु दायर की गई है।

प्रकरण-पुस्तिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 13.07.2005 को परिवादिनी पूनम द्वारा महिला थाना, दुर्ग में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक 36/2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क सहपठित धारा 34 के अंतर्गत, आवेदकों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर विवेचना पूर्ण की गई और आवेदकों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 498-क सहपठित धारा 34 एवं धारा 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अभियोग-पत्र, दांडिक प्रकरण क्रमांक 965/2005 में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात, अभियुक्तगण (आवेदक) उक्त दांडिक प्रकरण की कार्यवाही अभिखण्डित कराने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत अपराध सतत अपराध नहीं है और वाद हेतुक का कोई भाग दुर्ग न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न नहीं हुआ, अतः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग-पत्र सक्षम नहीं है तथा उक्त न्यायालय को इस अपराध का विचारण करने का कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIII के प्रावधानों का उल्लेख किया।

मैंने आवेदकों के अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XIII दांडिक न्यायालयों के जांच एवं विचारण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। धारा 177 जांच एवं विचारण के सामान्य स्थान का प्रावधान करती है। इसमें यह उपबंधित है कि प्रत्येक अपराध का सामान्यतः उसी न्यायालय द्वारा जांच एवं विचारण किया जाएगा, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह अपराध किया गया हो।

धारा 178 उन परिस्थितियों में जांच या विचारण के स्थान का प्रावधान करती है, जब यह अनिश्चित हो कि अपराध कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में किया गया, या जब अपराध आंशिक रूप से एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे क्षेत्र में किया गया हो, या जब अपराध सतत प्रकृति का हो और एक से अधिक क्षेत्रों में किया जाता रहा हो, अथवा जब वह विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कई कृत्यों से मिलकर बना हो। ऐसे सभी मामलों में यह प्रावधान है कि उस अपराध की जांच या विचारण किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसे उन स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक पर क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः इन दोनों धाराओं के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि धारा 177 द्वारा निर्धारित नियम सामान्य अनुप्रयोग का है और संहिता के अंतर्गत होने वाले सभी आपराधिक विचारणों को नियंत्रित करता है, बशर्ते कि संहिता में अन्यत्र कोई अपवाद न दिया गया हो। जबकि धारा 178 उन अपवादों को नियंत्रित करती है, जिनका उसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय, जो एआईआर 1937 बॉम्बे 186 (रामनारायण बाबूराव बनाम सम्राट) में प्रतिवेदित है, का अनुमोदन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने *नारूमल बनाम बॉम्बे राज्य,* एआईआर 1960 एससी 1329 में यह प्रतिपादित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का अर्थ है—"जहाँ संहिता में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।"

राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपने अधिनियमों द्वारा सृजित अपराधों के विचारण के लिए धारा 177 में निर्धारित प्रावधान से भिन्न व्यवस्था कर सके; किन्तु इसके लिए यह स्पष्ट रूप से संबंधित विशेष अधिनियम के प्रावधानों से प्रकट होना चाहिए कि धारा 177 में निहित सामान्य सिद्धांतों से भिन्न जाने का आशय है।

पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एआईआर 1961 एससी 1589), एल.एन. मुखर्जी बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1961 एससी 1601), बनवारीलाल झुनझुनवाला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (एआईआर 1963 एससी 1620) तथा मोहन बैथा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ((2001) 4 एससीसी 350) के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने *वाई. अब्राहम अजीत एवं अन्य बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चेन्नई एवं अन्य* (2004 एआईआर एससीडबल्यू 4788) में यह प्रतिपादित किया कि धारा 177 में प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" द्वारा निहित अपवाद केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं हैं जो विधि में विशेष रूप से प्रदान किए गए हों, बल्कि ऐसे अपवाद विधि के प्रावधानों के विवेचन से भी निहित हो सकते हैं, विशेषकर जब एक ही न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों के संयुक्त विचारण की अनुमति दी गई हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक धारा 178 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित अपवादात्मक परिस्थितियाँ विद्यमान न हों, किसी अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह अपराध किया गया हो, सिवाय इसके कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

यदि हम इस प्रकरण में पृष्ठ 7 पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सामग्री का परीक्षण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी ने कहा है कि उसके साथ उसके ससुराल में, जो कि स्वीकार्य रूप से जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) के गीदम में स्थित है, अभियुक्तगण द्वारा क्रूरता की जाती थी। उसने आरोप लगाया है कि आवेदकों द्वारा उससे 1 लाख रुपये की मांग की गई थी। जब वह अपने मायके दुर्ग आई, तब उसका पति (यहाँ याचिकाकर्ता क्रमांक 4) अपने मित्र दिनेश ठाकुर के साथ दुर्ग आया और दुर्ग में

उसके भाई मनोज ने उसके पति को 50,000/- रुपये की राशि दी। उक्त राशि प्राप्त होने के बाद ही उसे उसके पति द्वारा साथ ले जाया गया।

उसने आगे कहा कि जब वह गीदम पहुँची, तब सभी याचिकाकर्ताओं ने कम राशि लाने के कारण उसके साथ मारपीट की और उस पर केरोसिन तेल भी डाला। इसके पश्चात वह पुनः अपने मायके लौट आई और उसके बाद उसने यह शिकायत दर्ज कराई।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्ग में आंशिक भुगतान किए जाने के कारण परिवादिनी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया और उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार, वाद हेतुक का एक भाग दुर्ग स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में भी उत्पन्न हुआ। अतः यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दुर्ग में दर्ज की गई और उसी के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को ऐसे अभियोग-पत्र पर विचार करने का पूर्ण अधिकार था। इस प्रकार, अधिकारिता के अभाव के आधार पर अभियोग-पत्र को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, इस याचिका में मेरे समक्ष कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः याचिका में कोई सार नहीं है और इसे ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur